

(आज दिनांक

22/6/11

को घोषित)

01

आरोपी/गण को रवेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सर्वजनिक अभिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत रवेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।


02.

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विकृद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण रवेच्छा परचल्य

को सार्वजनिक धृत अभिनियम 1867 की धारा 4 (ज) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय चठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड 850/- रुपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि 780/- अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति लेव्ड पे लिस्टर को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अर्जेंट की दशा में नानुनीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टिकित


मैजिस्ट्रेट
कोर्ट ऑफ सेशन
राजिक भवित्तु नगरपालिका
नगरपालिका